परीक्षार्थियो के लिए आवश्यक निर्देश
(परीक्षा प्रवेश पत्र के क्रम में वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराये जायेगे ।)

परीक्षार्थी नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, किसी भी अनुदेश का पालन न किये जाने पर मुख्य परीक्षा नियन्त्रक द्वारा परीक्षार्थी के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जा सकती है ।

1. परीक्षार्थी को परीक्षा में अन्तरिम रूप से प्रवेश दिया गया है अर्थात परीक्षार्थी की नियमानुसार पात्रता की जांच नहीं की गई है । केवल इस तथ्य से कि उसे इस परीक्षा हेतु बैठने के लिए फोटोयुक्त प्रवेश-पत्र जारी कर दिया है, यह मतलब नहीं है कि उसे इस परीक्षा हेतु नियमानुसार पात्र मान लिया गया है । पात्रता की जांच करते समय यदि यह ज्ञात होता है कि परीक्षार्थी नियमानुसार इस परीक्षा हेतु पात्र नही है तो उसकी अभ्यार्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।
2. परीक्षा में प्रवेश से पूर्व अभ्यार्थी स्वयं अपनी पात्रता की जांच नियमानुसार कर लें ।
3. परीक्षा में बैठने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
4. परीक्षार्थी को चाहिए कि वह प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही उसकी सावधानी पूर्वक जांच कर लें ।
5. परीक्षार्थी परीक्षा कार्यक्रम का भलीभांति अध्ययन कर लें एवं यह ध्यान रखे कि उसे किस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देनी है ।
6. किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को आवंटित परीक्षा केन्द्र के अतिरिक्त अन्य परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नही दिया जावेगा ।
7. परीक्षा भवन में प्रवेश के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र अपने साथ लावें । प्रवेश पत्र के अभाव में उसे परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जावेगा । परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र समय पर न मिलने अथवा खो जाने की स्थिति में परीक्षार्थी निर्धारित कंट्रोल रूम से प्रवेश पत्र की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त कर सकते है । इस हेतु परीक्षार्थी को अपनी फोटो साथ लानी होगी ।
8. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र एवं प्रवेश सम्बन्धी कागजातों के अतिरिक्त अपने साथ कोई कागज/किताब/पर्ची, मोबाईल फोन, हथियार आदि लेकर नहीं आयेगा । परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरो के पत्रों की नकल न करेगा और न अपने पत्रों की नकल करने देगा, न कोई पत्र दूसरो से लेगा और न लेने या देने का प्रयास करेगा । किसी प्रकार की अव्यवस्था अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को नियमो के अनुसार दण्डित किया जायेगा ।
9. परीक्षार्थी को केन्दाधीक्षक/अभिजागर द्वारा दिये गये निर्देशो का अनिवार्यत: पालन करना होगा । ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर, परीक्षा में अनुचित साधनो का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध केन्द्राधीक्षक जो परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है । परीक्षा परिसर में किसी प्रकार का हथियार या उस तरह की वस्तु लेकर आना अपराध होगा ।
10. केन्दाधीक्षक/अभिजागर या परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिकृत व्यक्ति संदेह होने की स्थिति में परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते है, जिसमें परीक्षार्थी को उन्हें पूर्ण सहयोग देना होगा तथा उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना होगा ।
11. परीक्षार्थी को अपना बाल पेन साथ लाना चाहिए । वस्तुपरक परीक्षा के Optical Mark Reader. (OMR) Sheet में वांछित सूचना भरने हेतु अभ्यार्थी को बाल पॉइन्ट पेन की आवश्यकता होगी । OMR Sheet पर रोल नम्बर व परीक्षार्थी के हस्ताक्षर बाल पाईन्ट पेन से भरे जायेंगे । OMR Sheet में पर दिये अनुदेशो के अनुसार रोल नम्बर, आदि सूचनायें बाल पॉईन्ट पेन से भरे जायेगे । वस्तुपरक परीक्षा में परीक्षार्थी को रफ कार्य हेतु खाली कागज नही दिया जावेगा एवं किसी भी प्रकार की सहायता सामग्री (केलकुलेटर या लॉग टेबल आदि) के प्रयोग की भी अनुमति नहीं होगी ।
12. प्रश्न पत्र बहुविकल्प के होगें, जिसके उत्तर OMR पत्रक पर देने होंगे ।
13. सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे ।
14. प्रश्नो के उत्तर काली/नीली स्याही के बाल पैन से भरने होंगे । प्रश्न के उत्तर को OMR Sheet (उत्तर पत्रक) पर सही गोल खाने में ही भरना होगा ।
15. परीक्षार्थी द्वारा गलत उत्तर देने पर प्रश्न हेतु निर्धारित अंको में से 1/3 अंको की कटौति की जावेगी ।
16. एक से अधिक उत्तर देने पर भी 1/3 अंक काटा जावेगा तथा प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर अंक नहीं काटा जावेगा ।
17. OMR पत्रक में अपना रोल नम्बर, जैसा कि आपको प्रवेश पत्र में अंकित है, वैसा ही भरा जावें ।